तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 22/2025* *अनवान चैनाराम वगैरह बनाम तहसीलदार लूणी वगैरह* ***अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम***	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-4-26	प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कब्जा काश्त कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 280 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सरदारगढ़ पटवार हल्का सरेचा तहसील लूणी मे आई हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि के उत्तरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 224 अप्रार्थीगण संख्या 16 से 29 की कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण के पास खसरा संख्या 279/1 अप्रार्थीगण संख्या 3 से 15 की खातेदारी व खसरा संख्या 225 अप्रार्थीगण संख्या 2 के खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उसके आगे दक्षिण दिशा मे आम रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण तथा उनके पूर्व के खातेदारों द्वारा वर्षो से ही इन खसरो 224, 225, व 279/1 के मध्य माठों के सहारे रास्ता काम में लेता आ रहा है तथा एक मात्र इसी रास्ते द्वारा प्रार्थीगण अपने कृषि भूमि तक जाता आ रहा है जो कि निकततम व लघुतम मार्ग भी है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि में जाने के लिए कोई भी अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण कि भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। परन्तु खसरा नंबर 224, 225, व 279/1 की भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से प्रार्थीगण से निवेदन किया कि वो उक्त भू–भाग को रास्ते के रूप में दर्ज करावे परन्तु अप्रार्थीगण टालमटोल कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिफल राशि भुगतान देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नजरी नक्शे में वर्णितानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में इन्द्राज किया जावें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजे गये। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीदे पेश की गई जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 2 व 16 से 28 की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सही एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों पर के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा न तो कभी पूर्व में खसरा संख्या 224, 225 व 279/1 में से रास्ते का उपयोग करता रहा हैं न ही वर्तमान में कर रहे है। वास्तविकता यह है कि ग्राम सर में कटाणी रास्ता खसरा संख्या 293 स्थित हैं। उक्त कटाणी रास्ता खसरा संख्या 293 एवं प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा संख्या 280 के मध्य ही प्रार्थी संख्या तीन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 296/1 में स्थित है जो कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 280 के चिपती है। प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 296/1 एवं खसरा संख्या 280 में आने जाने हेतु दो रास्तों का उपयोग कर रहें हैं जो कि उक्त दोनो रास्ते ग्राम सर के कटाणी रास्ता खसरा संख्या 293 से होते हुए प्रथम रास्ता खसरा संख्या 297/1 व 297 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे चल रहा हैं जो कि	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

खसरा संख्या 280 तक पहुंचता है एवं यह सबसे लघुतम एवं निकटतम रास्ता हैं एवं दूसरा रास्ता ग्राम सर के कटाणी रास्ता खसरा संख्या 293 से होते हुए खसरा संख्या 292, 294, 296/1 व 296 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होते हुए खसरा संख्या 280 तक पहुंचता हैं उक्त दोनो रास्ते मौके पर विद्यमान हैं तथा उन दोनो रास्तों का उपयोग वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। उक्त दोनो रास्ता का नजरी नक्शा इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिये इस रास्तो के अलावा अन्य नया रास्ता जवाबदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी में स्थापित करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो कि किसी भी सूरत में धारा 251 ए के प्रावधान इस प्रकरण में लागू ही नहीं होते हैं इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार लूणी के मार्फत मौका/जांच रिपोर्ट तलब की जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 27.08.2025 की रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 08.08.2025 प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली में संलग्न की गयी। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट में में भी प्रार्थीगण को खेत तक आने जाने हेतु कोई स्थायी रास्ता नहीं होना बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 280 में आने जाने हेतु लघुतम तथा निकतमत रास्ता मौका फर्द संलग्न नजरी नक्शे में A B C D में होना बताया जो कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 224 व 225 में गुजरता है।

उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को आधार बताते हुए निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 280 के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वे खसरा नं. 224, 225, व 279/1 में से होकर ही रास्ते तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं तथा यहीं एकमात्र लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग हैं। नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जिसके लिए जो नियमानुसार राशि देने को तैयार हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में बताया कि प्रार्थीगण के लिए खसरा नं. 280 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 293 का उपयोग करते हुए खसरा संख्या 297/1 व 197 के दक्षिणी माठ के चिपते प्रार्थीगण की भूमि के लिये लघुत्तम तथा निकटतम रास्ता है। ऐसी स्थिति में पारंपिक रूप से चालू रास्ते की स्थित में धारा 251 के तहत नया रास्ता दिया जाने का कोई कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी खातेदार को अपनी भूमि में जाने के लिए विशिष्ट रूप से नये मार्ग के प्रावधान हैं जब उसके लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव हो तथा जो निकटतम एवं लघुत्तम भी हों। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 280 के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव बताया हैं तथा तहसीलदार लूणी की प्रस्तुत रिपोर्ट में भी खसरा नं. 280 के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता ना होने की बात उजागर हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को खसरा नं. 280 के लिये लघुत्तम एवं निकटतम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

रास्ते का निर्धारण किया जाना हैं। जहां तक प्रार्थीगण ने खसरा सं 280 की अपनी खातेदारी की भूमि के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की मांग की हैं। उक्त बिन्दु पर तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं 280 के लिये खसरा नं. 224 व 225 की भूमि में से रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम होने का अंकन किया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के लिये तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार आने जाने हेतु कोई स्थायी रास्ता नहीं होना बताया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को खसरा नं. 224 225 की भूमि में से मौका फर्द दिनांक 08.08. 2025 में नजरी नक्शे के अनुसार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 224 व 225 की भूमि में से मौका फर्द दिनांक 08.08.2025 में वर्णित भू–भाग बिन्दु A B C D चौडाई 15 फीट रास्ते में दर्ज किये जाने के लिये निर्देश दिये जाते है तथा उक्त भू भाग राजस्व रैकर्ड में बिलानाम गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज/तरमीम की जाकर मौके पर रास्ता कायम किया जावें और प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार लूणी 15 फीट चौडाई के माप से रास्ते के क्षेत्रफल की गणना कर तदनुसार उक्त रास्ते की भूमि के प्रतिफल की राशि के संबंध में तहसीलदार लूणी प्रार्थीगण को अवगत करवाए तथा प्रार्थीगण उक्त राशि की चैक अथवा डी. डी. बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें। तहसीलदार लूणी आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करवाएंगे। मौका फर्द दिनांक 08.08.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी